#2023/93

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम नरेश वगै.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या ..5../2023 प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/1/23	प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री मंगलचंद यादव द्वारा मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया । मूल वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का है, तथा प्रार्थीगण के नाम भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया गया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 110 लगायत 120 कुल किता–11 रकबा 4.51 है0 भूमि वाके ग्राम बीचपडी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी मुतनाजा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे,। यदि एक माह में तामिल नही करवाने पर स्थगन स्वतः समाप्त माना जाएगा अप्रार्थीगण को यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें । तदानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 1/2/23 को पेश हों । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.	
1/2/23	वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामिल के कोई उप० नहीं है। वकील प्रार्थी ने T.I को ता० फैसला मूल वाद कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17/1/23 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म / स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के शामिल रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.	

Scanned with OKEN Scanner